

सार्वजनिक सलाह के लिए

जातीय भेदभाव अध्यादेश रोजगार पर
कोड ऑफ प्रैक्टिस

जानकारी समीक्षा



平等機會委員會
EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION

अक्टूबर, 2008

(Hindi Version)

जातीय विभेद अध्यादेश के अन्तर्गत, रोजगार पर कोड ऑफ प्रैविट्स

प्रस्तावना:-

जुलाई, 2008 में जातीय विभेद अध्यादेश (RDO) को कानूनी रूप दिया गया था। इससे हाँग काँग में एक नया अवसर आया जिससे कि हम समाज को हरेक के लिए बेहतर बना सकें जिसमें जातीय विशिष्टताओं का कोई स्थान न रहे।

हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रोजगार है। समान रोजगार अवसर आयोग ने, सार्वजनिक सलाह मशविरे के लिए, रोजगार पर कोड ऑफ प्रैविट्स का एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है। यह सलाह मशविरा अवधि आठ सप्ताहों के लिए होगा जो 13 अक्टूबर से 8 दिसम्बर 2008 तक चलेगा। कोड ऑफ प्रैविट्सका ड्राफ्ट यह बतलायेगा कि किस प्रकार जातीय विभेद अध्यादेश रोजगार संबंधी मामलों में लोगों को जातीय विभेद से संरक्षण प्रदान करता है। इसकी डिजाईनिंग रोजगार के क्षेत्र में, हितधारकों जैसे कर्मचारियों, नियोक्ताओं, मानव संसाधन प्रैविट्शनर्स और ट्रेड यूनियनों को RDO के अन्तर्गत उनके अधिकारों और दायित्वों को बेहतर रूप से समझ में सहायता प्रदान करती है।

कोड ऑफ प्रैविट्स के ड्राफ्ट की विषय वस्तु

इस की विषय वस्तु में निम्न क्षेत्र आते हैं

इस अध्यादेश के अन्तर्गत जातीयता का अर्थ

- रंग और जाति का अर्थ बताये
- जातीय विभेद के अन्तर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है।

रोजगार संरक्षण का क्षेत्र

- रोजगार का अर्थ
- छोटे नियोक्तागण
- घरेलू सहायक
- धर्म
- अन्य व्यावसायिक संबंध
- अन्य कार्य संबंधी मामलों

अध्यादेश के अन्तर्गत गैर कानूनी एकट्स पर एक अन्तर्गत

- “विभेद करण” का क्या अर्थ होता है?
- रोजगार संबंधों के विभिन्न पहलूओं और अवस्थाओं पर अनुप्रयोग
- “जातीय प्रताङ्गना” का क्या अर्थ है
- ऐसे संबंध जहाँ जातीय प्रताङ्गना अनैतिक होती है।
- विलिफिकेशन और गंभीर विलिफिकेशन का अपराध
- इस अध्यादेश के अन्तर्गत आने वाले अनैतिक कानून

अनैतिक कानूनों की देयता :

- नियोक्ता और प्रधान देयता
- नियोक्ताओं के अनैतिक कानूनों को सहायता देन में कर्मचारियों की देयता
- कर्मचारियों की प्रत्यक्ष देयता
- किसी भी नियोक्ता द्वारा उठाये गये न्यायोचित व्याहारिक कदम जिससे कि अनैतिक आचरणों को रोका जा सके।

अपवाद और अप्रत्यक्ष विभेदी करण पर अतिरिक्त विस्तृत व्यौरा –

- प्रत्यक्ष विभेदी करण
- अप्रत्यक्ष विभेदी करण

अपवाद और ऐसे मामले प्रभावित न हो

- वास्तविक व्यावसायिक विशेषता
- हाँग काँग के बाहर कार्य कुशलताओं का प्रशिक्षण
- विशिष्ट कार्य कुशलता,
- अनुभव और ज्ञान से युक्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना
- विशिष्ट उपाय

श्रेष्ठ अभ्यास

- पॉलिसी को झ्रॉ अप करना
- कार्यान्वयन कराना

शिकायत और कानूनी प्रक्रियाये।

- शिकायत की जाँच कराना
- कानूनी सहायता
- कानूनी कार्यवाहियों को शुरू करना।

किस प्रकार ड्राफ्ट कोड को प्राप्त किया जाय।

यह ड्राफ्ट कोड सभी हितधारको अल्प संख्यक जाति संगठनों और संबंधित समूहों में समीक्षाओं के लिए वितरित किया जाता है। यह लोक जांच सेवा केन्द्रों से आसानी से प्राप्त की जा सकती है, जो ग्रह मंत्रालय विभाग का भाग है। साथ ही इसे समान अवसर आयोग और हमारे वेबसाइट (<http://www.eoc.org.hk>) पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है नवम्बर और दिसम्बर 2008 के बीच सार्वजनीय सदस्यों को मीटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

सार्वजनिक विचारों और समीक्षाओं को उचित रूप में कोड शामिल किया जायेगा इसके पहले कि इसे मार्च 2009 में विधान परिषद (legco) में विचार के लिए पेश किया जाय। लेग को द्वारा अनुमोदित होने पर ही यह कोड अप्रैल 2009 में प्रभावी हो पायेगी।

आपको समान अवसर आयोग पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कृपया 8 दिसम्बर, 2008 तक इस प्रारूप पर अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करें।

पता	:	19/F, Cityplaza Three, 14 Taikoo Wan Road Taikoo Shing, Hong Kong
फैक्स	:	2511 8142
ई-मेल	:	eoc@eoc.org.hk
वेबसाइट	:	http://www.eoc.org.hk
टल	:	2511 8211

हमारे साथ मिलकर एक सार्वभौम समाज की रंचना करें।